राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक : 12.05.2017
स्थान – प्रोजेक्ट भवन; नया सभागार, दूसरा तल्ला, धुर्वा, रांची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के 59वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत्त
Minutes of the 59th Quarterly Meeting of SLBC, JHARKHAND

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 59वीं त्रैमासिक बैठक का आयोजन दिनांक 12.05.2017 को प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रांची के नए सभागार में किया गया। बैठक का आरम्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के महाप्रबंधक श्री प्रसाद जोशी द्वारा सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों के स्वागत संबोधन से हुआ | तत्पश्चात मंच पर आसीन झारखंड राज्य के माननीय मुख्य मंत्री श्री रघुवर दास; मुख्य सचिव, श्रीमती राजबाला वर्मा; अपर मुख्य सचिव-सह-विकास आयुक्त श्री अमित खरे ; प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, श्री एन. एन. सिन्हा; सचिव वित्त-सह-योजना, श्री सत्येंद्र सिंह; श्री पेट्रिक बरला, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक; श्री एस. मंडल मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड का पुष्पगुच्छ दे कर स्वागत किया गया |

बैठक में उपरोक्त सम्मानित अतिथियों के अलावे श्रीमती हिमानी पांडे, सचिव, सामाजिक कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार; श्री के. के. सोन, सचिव, भू राजस्व एवं भू सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार ; श्रीमती पुजा सिंघल, सचिव, कृषि विभाग, झारखण्ड सरकार ; श्री बी. के. दास, महाप्रबंधक, SBI; श्री एस के मुखर्जी, महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया; श्री पार्थो देब दत्ता, महाप्रबंधक, इलाहाबाद बैंक; श्री जी.आर. पडलकर, महाप्रबंधक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया; झारखण्ड सरकार के अन्य विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी; झारखण्ड राज्य स्थित सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुख; झारखण्ड राज्य के 24 जिलों के अग्रणी जिला प्रबंधक एवं विभिन्न बैंकों के उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे ।

स्वागत कार्यक्रम के पश्चात भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक श्री पेट्रिक बारला को बैठक को सम्बोधित करने के लिए आमंत्रित किया गया। अपने सम्बोधन मे श्री बारला ने बैंकों द्वारा चयनित 137 ग्रामों मे 31.03.2017 तक शाखा खोले जाने के लक्ष्य के विरुद्ध बैंकों द्वारा सिर्फ 30 शाखाये खोले जाने की बात कही । उन्होंने कहा कि वे बैंक जिन्हे चयनित ग्रामों मे शाखा खोलने का लक्ष्य दिया गया है और यदि उन्हे चयनित ग्राम मे शाखा खोले जाने का संबन्धित प्रधान कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है, तो वे शीघ्र शाखा खोल लें। आगे उन्होने कहा कि भारत सरकार, राज्य सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद विहीन लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं , जिस कार्य मे काफी प्रगति हुई है।

इसके पश्चात मुख्य सचिव श्रीमती राजबाला वर्मा ने अपने सम्बोधन मे बैंकों की महत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि बैंक राज्य मे चल रहे विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन कर राज्य के विकास मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होने कहा कि अगर किसी शाखा द्वारा लक्ष्य प्राप्ति में शिथिलता बरती जाती है तो उससे उस पूरे क्षेत्र का विकास प्रभावित होता है। उन्होने बेरोजगारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं को सही ढंग से लागू कर ऋण मुहैया कराते हुए ग्रामो मे कृषि एवं कुटीर उद्योग लगाए जाने एवं कृषि आधारित सहायक व्यवसाय को प्रोत्साहित करने पर बल दिया। आगे अपने सम्बोधन मे उन्होने कहा कि सभी किसानो को किसान क्रेडिट कार्ड दिलाना है साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड को RuPay कार्ड मे परिवर्तन करना है। सखी मंडलों का बैंकों द्वारा क्रेडिट लिंकेज करते हुए कुटीर उद्धयोग लगाने मे प्रोत्साहित करने की बात कही ताकि उन्हें स्वलम्बी बनाया जा सके। उन्होने कहा कि ग्रामीणो को बचत की आदत डालनी चाहिए ताकि आवश्यकता के समय बैंकों द्वारा साख के आधार पर ऋण लिया जा सके। उन्होने विमुद्रीकरण एवं नकद रहित लेन देन के अंतर्गत राज्य मे विभिन्न विभागों द्वारा किए कार्यों की सराहना की। आगे उन्होने कहा कि सरकार के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हो सकता है कि ऋण प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता पूर्ण आवेदन नहीं मिले हों, इस हालत मे संबन्धित सरकारी विभागों से समन्वय स्थापित कर गुणवत्ता पूर्ण आवेदन सृजित करने की आवश्यकता है। अंत मे उन्होने कहा कि राज्य सरकार, संबन्धित विभाग एवं एस॰ एल॰ बी॰ सी द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करते हुए राज्य के विकास मे और अधिक गति लायी जाय ।

मुख्य सचिव के सम्बोधन के पश्चात माननीय मुख्य मंत्री श्री रघुवर दास जी द्वारा राज्य के तीन सखी मंडलों को उनके द्वारा उत्कृस्ट कार्य करने पर सम्मानित किया गया। इसके तहत इनजोत सखी मंडल, ग्राम मुरमा, जिला गुमला, जिसे बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋण दिया गया है, को प्रथम पुरस्कार ; गंगा आजिविका सखी मंडल, लेसलीगंज, जिला पलामू, जिसे पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया है, को द्वितीय पुरस्कार एवं राधा आजिविका सखी मंडल, ग्राम लिट्टी पड़ा, जिला पाकुर, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया है, को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया।

इसके पश्चात एस॰एल॰बी॰सी॰ द्वारा अनुसूचित जन-जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र- छात्राओं को शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने हेतु बनाए गए वेब पोर्टल का माननीय मुख्य मंत्री श्री रघुवर दास जी के कर कमलों द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया।

तत्पश्चात माननीय मुख्य मंत्री द्वारा स्वयं सहायता समूहों के क्रेडिट लिंकेज मे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया को लक्ष्य के विरुद्ध 89.90 % उपलब्धि हासिल करने पर प्रथम पुरस्कार, झारखंड ग्रामीण बैंक को 88.61% लक्ष्य प्राप्त किए जाने पर द्वितीय पुरस्कार एवं वनांचल ग्रामीण बैंक को 81.16% लक्ष्य प्राप्ति करने पर तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही स्वयं सहायता समूह के क्रेडिट लिंकेज मे उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पूर्वी

सिंघभूम (लक्ष्य के विरुद्ध 172% उपलब्धि), पश्चिमी सिंघभूम (लक्ष्य के विरुद्ध 172% उपलब्धि) एवं पाकुड़ (लक्ष्य के विरुद्ध 160% उपलब्धि) जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में साहेबगंज जिला के अग्रणी जिला प्रबन्धक, श्री एम॰एल॰शुक्ला, को माननीय प्रधानमंत्री जी के साहेबगंज दौरे के दौरान उनके जिले मे किए उत्कृष्ट कार्य के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया गया।

उसके बाद झारखंड ग्रामीण बैंक एवं जे॰एस॰एल॰पी॰एस॰ के संयुक्त प्रयास से सखी मंडल के महिलाओं को बी॰सी॰ एजेंट के रूप मे नियुक्त करने से संबन्धित विषय पर एक छोटा वीडियो दिखलाया गया और एक पुस्तिका का विमोचन माननीय मुख्य मंत्री के द्वारा किया गया । इसी क्रम मे रांची जिले के अनगड़ा ब्लॉक की श्रीमति बरखा कच्छप, जो बी॰सी॰ एजेंट के रूप मे कार्यरत हैं, ने सभा में अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों के अनुभव को साझा किया ।

इसके पश्चात माननीय मुख्य मंत्री श्री रघुवर दास जी ने सभा को सम्बोधित करते हुए केंद्र सरकार के विमुद्रीकरण कार्यक्रम के दौरान झारखण्ड राज्य मे बैंकों द्वारा किए गए अथक प्रयासों की सराहना की । इसके साथ ही उन्होने एस॰ एल॰ बी॰ सी॰ द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र - छात्राओं को शिक्षा ऋण हेतु आवेदन करने के लिए बनाए गए पोर्टल के लिए एस॰ एल॰ बी॰ सी॰, झारखंड को विशेष रूप से बधाई दी एवं इस पोर्टल के व्यापक प्रचार -प्रसार करने का निर्देश दिया ताकि इसका लाभ सुदूर क्षेत्रों में बैठे विद्यार्थियों को भी मिल सके । आगे उन्होने कहा कि कुछ काम ऐसे रह गए है जिसमे लक्ष्य प्राप्त करने मे बैंक काफी पीछे रह गए है। उन्होने राज्य मे 36 लाख किसानों के विरुद्ध केवल 13 लाख किसानों को ही KCC दिया जाने को दुखद बताया और नीति आयोग की 38वीं बैठक का जिक्र करते हुए उन्होने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि हरेक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाय। रूपे कार्ड वितरण एवं activation मे बैंको द्वारा उदासीनता बरते जाने पर भी उन्होने अपनी नाराजगी जाहिर की, साथ ही आधार सीडिंग कार्य, जिसे 85 % तक किया गया है, 100 % तक किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया । उन्होने ग्रामीण रोजगार का सृजन करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इसी क्रम मे उन्होने कहा कि राज्य मे 2000 महिलाओं को लाह की चूड़ी, कंबल, चादर, तसर की साड़ी आदी बनाने मे कुशल बनाना है। उन्होने कहा कि इन कुशल महिलाओं को इन कार्यों के लिए बैंकों द्वारा ऋण दिलाया जाए ताकि इनके परिवार के साथ ही ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था भी मजबूत बन सके । उन्होंने सभी बैंको से PMMY एवं SHG finanacing में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए दिये गए बजट को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले ही प्राप्त कर लेने का निर्देश दिया | माननीय मुख्यमंत्री ने अंत में SLBC की बैठक में उपस्थित सभी हितधारकों को कार्य योजना बनाकर समयबद्ध तरीके से लक्ष्य प्राप्ति की सलाह दी |

अपनी अन्य व्यस्तताओं के कारण माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के प्रस्थान के पश्चात श्री अमित खरे ने प्रधान सचिव, परिवहन को ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क परिवहन से संबन्धित कार्यक्रम एवं विचार समिति के समक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया । प्रधान सचिव, परिवहन ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र मे परिवहन की समुचित एवं सुविधा जनक व्यवस्था नहीं होने और इसे दूर करने के लिए इस दिशा मे की जाने वाली संभावनाओं का जिक्र किया। उन्होने कहा कि झारखंड के ग्रामों मे वैसे 364 रूट को विभाग ने चिन्हित किया है जिसमे ग्रामीणो की सुविधा के लिए बसें चलाई जा सकती हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सप्ताह के विभिन्न दिनों में वहाँ लगने वाले हाटों/बाज़ारों के अनुसार भी रूटों का निर्धारण किया जा सकता है ताकि उन वाहनों की economic viability बनी रहे | उन्होने बैंको से स्टैंड - अप इंडिया कार्यक्रम के तहत इसके लिए इच्छुक युवाओं को ऋण देने का सुझाव दिया एवं उनके विभाग द्वारा शीघ्र रूट परमिट देने की बात बताई । उन्होंने बैंकों को आश्वश्त किया की चूँकि इन रूटों पर पूर्व में काफी कम गाड़ियाँ चल रही हैं अतः बैंको को ऋण वसूली में दिक्कत आने की संभावना काफी कम है | इस विषय मे उपस्थित विभिन्न प्रतिभागियों ने अपना-अपना मन्तव्य रखा। इलाहबाद बैंक के महाप्रबंधक श्री पार्थो देब दत्ता ने सरकार से आग्रह किया कि सरकार द्वारा लाइसेंस निर्गत करते समय दो बातों का ध्यान रखा जाय -एक तो यह कि रूट परमिट वैसे अभ्यर्थिओ को दिये जाएँ जो स्टैंड अप इंडिया ऋण की पात्रता पूरी करते हों तथा दुसरे कि दबंग या क़द्दावर लोगों को bulk में रूट परमिट निर्गत न किया जाये | इस पर श्री खरे सर ने बताया कि चूँकि रूट परमिट किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है अतः सरकार इस बात का विशेष ध्यान रखेगी कि पहले स्टैंड अप ऋण की पात्रता पूरी करने वालों को ही रूट परमिट निर्गत किया जाये और यदि ऐसे अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तभी अन्य को यह सुविधा दी जाये और बैंकों से कहा गया कि जिलावार बैठक कर बैंक अपने रूट का चुनाव करते हुए शाखाओं का निर्धारण करें जिनके द्वारा स्टैंड - अप इंडिया कार्यक्रम के तहत इच्छुक युवाओं का चयन करते हुए ऋण दे कर बसे दिलाई जा सके। इसके लिए उन्होंने SLBC को सभी बैंकों और LDMs को रूट चार्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, जिसे SLBC द्वारा बैठक के दिन ही शाम में सभी को मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया |

<u>व्यवसाय सत्र (Business Session):</u> अध्यक्ष के आदेशानुसार, मुख्य प्रबंधक, SLBC, श्री दीप शंकर द्वारा व्यवसाय सत्र की कार्यवाही शुरू करते हुए सर्वप्रथम दिनांक 09.02.2017 को आयोजित 58 वी एसएलबीसी बैठक के कार्यवृत की संपुष्टि सभा द्वारा कराई गयी |

तत्पश्चात श्री दीप शंकर ने एसएलबीसी की 59वीं बैठक में चर्चा किए जाने वाले बिन्दुओं को क्रमवार प्रस्तुत किया।

राज्य सरकार से संबंधित मामले:

भूमि अभिलेखों का अद्यतन(Updation) और टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक संशोधन (एस पी टी एवं सी एन टी अधिनियम):

राज्य सरकार द्वारा भूमि अभिलेखों का अद्यतन करना एवं टेनैन्सी एक्ट में आवश्यक परिवर्तन करना प्रस्तावित था जिससे कि,

1. किसानों के द्वारा कृषि ऋण के आवेदन देते समय वे भूमि अभिलेख, जो की R.B.I के नियमों के तहत अनिवार्य है, बैंकों को उपलब्ध करा सके |
2. राज्य के किसान एवं उद्यमी भूमि को कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में बैंक में रख कर कृषि, MSE,शिक्षा एवं आवास ऋण प्राप्त कर सके|

1.राज्य के भू राजस्व एवं भू सुधार के सचिव श्री के के सोन ने जानकारी देते हुए कहा कि भूमि अभिलेखों के डिजिटिकरण का कार्य कुल 264 अंचलों मे से 262 अंचलों मे पूर्ण हो चुका है | इन अंचलो मे online mutation किया जा रहा हैं एवं बाकी बचे 2 अंचल जो बोकारो जिले के चास एवं चन्दनकियारी अंचल है, इनके भूमि अभिलेखों के डिजिटिकरण कार्य भी जून 2017 में पूरा कर लिया जाएगा | उन्होने यह भी बतलाया कि भूमि अभिलेखों के डिजिटिकरण के कार्य के साथ-साथ सभी 264 अंचल मे integration (registration एवं Mutation) का काम जून 2017 तक पूरा कर लिया जाएगा जो अभी तक 261 अंचलों में पूर्ण हो चूका है । जहां तक NEC जारी करने की बात है, इस संबंध मे सारे डाटा उपलब्ध है। 257 अंचलों मे ओन-लाइन लगान रसीद काटना आरंभ हो चुका है। उन्होंने बताया कि अब पूर्व की भांति केवल फरवरी या मार्च के महीने में ही लगान रसीद काटने के बजाये वित्तीय वर्ष के किसी भी समय में ओन-लाइन लगान रसीद काटना संभव हो गया है | इस विषय को आगे बढ़ाते हुए RBI के सहायक महाप्रबन्धक ने जानकारी चाही कि क्या भूमि रेकॉर्ड का DISITISATION हो जाने पर REGISTER 9 एवं 10 का मिलान करना संभव हो सकेगा ? इस पर सचिव महोदय ने कहा कि भूमि रेकॉर्ड के DISITISATION का REGISTER 9 एवं 10 के मिलान से कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी जिले विशेष मे Register 9 एवं 10 के मिलान मे संबन्धित रेकॉर्ड की आवश्यकता है, तो इस कार्य मे विभाग द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है एवं रिकवरी मे आगे बढ़ा जा सकता है। इस विषय मे SLBC के मुख्य प्रबन्धक ने कहा कि पिछले SLBC मीटिंग मे यह निर्णय लिया गया था कि सभी बैंक Register 9 एवं 10 के मिलान का रिपोर्ट SLBC को उपलब्ध कराए, लेकिन मात्र 3 बैंकों द्वारा ही यह रिपोर्ट जमा किया गया है। उन्होने उपस्थित सारे बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से पुनः निवेदन किया गया कि शीघ्र अपने बैंकों का रिपोर्ट जमा करें ताकि बैंकों मे बकाए की रिकवरी मे गति लायी जा सके। **(Action: सभी बैंक एवं राज्य सरकार)**

2. बैंकों से ऋण सुविधा आसानी से प्राप्त हो सके इसके लिए CNT एवं SPT में संशोधन हेतु झारखण्ड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद् के द्वारा माननीय मंत्री श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी की अध्यक्षता में एक उप समिति गठित की गई थी | उक्त उप समिति द्वारा दिनांक 26.11.2016 को प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिस पर झारखण्ड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद् की दिनांक 16.01.2017 की बैठक में

सहमति प्रदान की गई | उक्त बैठक की कार्यवाही दिनांक 31.01.2017 को प्राप्त हुई है जिसके आलोक में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग को भूमि बंधक के बदले शिक्षा ऋण, गृह ऋण एवं व्यवसायिक ऋण उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में CNT तथा SPT Act में संशोधन प्रस्ताव विधान सभा द्वारा पारित हो कर सक्षम प्राधिकारी के पास प्रेषित किया जा चुका हैं और वहा से स्वीकृति मिलते ही राज्य सरकार द्वारा इसको कार्यान्वित कर दिया जायेगा । **(Action: राज्य सरकार)**

<u>राज्य के सभी जिलों में, बैंकों में बकाया राशि की वसूली हेतु समर्पित वसूली अधिकारी (Dedicated Certficate Officer) को बहाल किया जाना|</u>

लोकमांग वसूली अधिनियम 1914 मे प्रस्तावित संशोधन विधेयक विधान सभा मे 2015 मे ही विधिवत पारित होने के उपरांत माननीय राज्यपाल, झारखंड सचिवालय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन हेतु पुनः भेजा गया है। वहा से अनुमोदन मिलते ही इस दिशा मे कार्य शुरू की जा सकेगी। **(Action: राज्य सरकार)**

<u>नगरपालिका प्राधिकार क्षेत्र के बाहर के क्षेत्र में भवन निर्माण के अनुमोदन हेतु सक्षम अधिकारी की घोषणा हेतु अधिसूचना:</u>

इस मुद्दे पर पिछली SLBC की बैठक में श्री अमित खरे ने बताया था कि इसके लिए या तो नगर विकास प्राधिकरण का दायरा बढ़ाने या पंचायतों को उचित अधिकार दिये जाने का मामला अभी राज्य सरकार के पास विचाराधीन हैं। श्री एन एन सिन्हा ने अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए बताया कि इससे सम्बंधित कैबिनेट प्रारूप तैयार कर लिया गया है और inter departmental consultation के पश्चात् बहुत जल्द ही इसमें प्रगति अपेक्षित है | **(Action: राज्य सरकार)**

<u>रांची में विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नियंत्रण कार्यालय, एसएलबीसी, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड के लिए उपयुक्त भूमि का आवंटन|</u>

इस विषय मे भू राजस्व एवं भू सुधार विभाग के सचिव ने कहा कि भवन निर्माण के लिए **RBI** तथा **NABARD** को जमीन आवंटित किया जा चूका है । इन आवंटित भूमियों मे जो भी विवाद थे, समाप्त हो चुके हैं तथा उनमे निर्माण का कार्य भी आरंभ हो चुका है। अन्य बैंको के नियंत्रक कार्यालयो के लिए जमीन आवंटन की कोशिश की जा रही हैं साथ ही नगर विकास विभाग से बात-चीत कर संस्थागत विकसित क्षेत्र मे भूमि आवंटन का प्रयास किया जाएगा एवं इसकी प्रगति की ठोस जानकारी अगले एसएलबीसी बैठक मे उपलब्ध करायी जाएगी। **(Action: राज्य सरकार)**

- **<u>गुजरात के डांग जिले के तर्ज पर ग्रीन किसान क्रेडिट कार्ड योजना</u>**

ग्रीन किसान क्रेडिट कार्ड योजना के द्वारा गुजरात के डांग जिले मे आदिवासियों के पेड़ पर सरल माइक्रो क्रेडिट उपलब्ध कराई जा रही है।चूंकि झारखंड मे भी आदिवासियों एवं वन सम्पदा की बहुलता है, अतः इस योजना को झारखंड मे भी सफलता पूर्वक चलाया जा सकता है। SLBC के मुख्य प्रबन्धक श्री

दीप शंकर ने जानकारी देते हुए बतलाया कि इस विषय पर 11.05.2017 को विशेष सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता मे नाबार्ड, RBI एवं SLBC की बैठक हुई है। बैठक के दौरान 2 बातें विशेष रूप से सामने आयी | प्रथम, झारखण्ड में कई जमीनो का records of right वर्तमान मालिकों के पूर्वजो के नाम पर है और ownership को establish किये बिना इस प्रकार के ऋण देने मे बैंको को समस्या होगी । दूसरा, ऋण देने एवं ऋण के भुगतान तक जो जोखिम होगा उस जोखिम के लिए पेड़ की बीमा की आवश्यकता पड़ेगी । अतः इसमे बीमा कंपनी को भी साथ लेते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है, जिसपर आगे अन्य बैठकें कर विस्तृत रूप से चर्चा की जा सकती है | **(Action: राज्य सरकार, SLBC, RBI एवं NABARD)**

बैंक से संबधित मामले Issues Pertaining To Banks

आर सेटी (RSETI) भवन का निर्माण कार्य

RSETI के राज्य निदेशक द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार:
क) SBI: गढ़वा एवं जामताड़ा में भवन निर्माण कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।
ख) PNB: रामगढ में भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ हैं।
ग) Allahabad Bank: हजारीबाग के भवन निर्माण का कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

संबन्धित बैंकों से कहा गया कि अगर कार्य आरंभ करने मे कोई स्थानीय मुद्दे हैं तो संबन्धित सरकारी विभाग को इसकी जानकारी देते हुए शीघ्र निपटारा करने का प्रयास करे। पंजाब नेशनल बैंक से कहा गया कि उनके भवन निर्माण कार्य मे कोई भी स्थानीय या अन्य मुद्दा बाकी नहीं है फिर भी उनके द्वारा निर्माण कार्य मे काफी विलम्ब किया जा रहा है, इसके निर्माण को जल्द आरम्भ करें। बैंक ऑफ इंडिया से कहा गया कि उनके द्वारा बनाए जा रहे RSETI भवनों मे से 4 पूर्ण होने करीब हैं, इन्हे शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जाय। इस पर BOI रांची Zone के ZM श्री विन्सेंट लकड़ा ने विद्युत् कनेक्शन में आ रही कठिनाई का जिक्र किया और सरकार से road बनाने की बात कही | श्री एन एन सिन्हा ने RUDSETI सिल्ली में canara bank द्वारा निर्माण में आनेवाली बाधा को दूर करने का जिक्र किया और सम्बंधित बैंको से निर्माण कार्य में local level पर आने वाली बाधा को सरकार के संज्ञान में अविलम्ब लाने को कहा | **(Action: सभी सम्बंधित बैंक-PNB, BOI,Allahabad बैंक एवं SBI)**

RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त CANDIDATES को बैंकों के द्वारा ऋण उपलब्ध करवाना

श्री एन एन सिन्हा ने झारखण्ड राज्य में RSETI से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के कम credit linkage पर अपनी चिंता जाहिर की और सभी बैंको को ज्यादा से ज्यादा linkage करने का निर्देश दिया | इस पर मुख्य प्रबंधक SLBC ने कहा कि पहले ही SLRC की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि RSETI प्रशिक्षार्थियों से प्राप्त ऋण आवेदन को केवल संबन्धित बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों के कार्यालय से ही निरस्त किया जाना चाहिए और किसी भी शाखा प्रबन्धक को इसकी अनुमति नहीं है अतः बैंको के नियंत्रक प्रमुखों को इस पर ध्यान देना चाहिए |

(Action: सभी बैंक एवं RSETI निदेशक)

जमा, क्रेडिट एवं ऋण-जमा अनुपात

राज्य के बैंकों के जमास्तर में उत्तरोतर वृद्धि दर्ज की जा रही है तथा 31 मार्च,2016 से 31 मचे,2017 तक 34953.25 करोड़ कि वर्ष-वार वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष दर वर्ष सकल जमा मे 23.11% की वृद्धि दर्ज की गई है जो कि पूर्व मे 14-15% के लगभग हुआ करती थी। ऋण संवितरण के स्तर में भी वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के दर पर इस वर्ष 14.57% की वृद्धि दर्ज हुई है।

राज्य का ऋण-जमा अनुपात पिछले तीन माह मे 58.21% से घट कर 57.57% हो गया है। पिछले वर्ष मार्च 2016 मे यह अनुपात 60.61% था। इसका मूल कारण पिछले तिमाही में जमा राशी में विमुद्रीकरण के कारण आयी वृद्धि है ।ऋण मे समानुपात मे वृद्धि नहीं हुई हैं जिसके कारण ऋण-जमा अनुपात पिछले वर्ष कि तुलना मे 3.04% की कमी आयी हैं।

इस विषय पर मुख्य प्रबन्धक श्री दीप शंकर ने जानकारी देते हुए बतलाया कि दिनांक 05.05.2017 को ACP एवं जमा अनुपात के sub-committee की बैठक वित्त सचिव (व्यय) की अध्यक्षता मे की गई । बैठक मे निर्णय लिया गया है कि जिन बैंकों एवं जिले का जमा अनुपात 30% एवं 40% से नीचे चला गया है, उन बैंको को विशेष Monitorable action plan बनाकर योजनाबद्ध तरीके से इसे बढ़ाने की आवश्यकता है।**(Action: सभी बैंक एवं सभी LDMs)**

कृषि ऋण

31 मार्च, 2017 को कृषि अग्रिम रू. 13704.11 करोड़ है जो कुल अग्रिम का 16.91प्रतिशत है। पिछले एक साल में कृषि ऋण में कुल रू. 845.55 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई है यानि वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 6.57 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बैठक मे यह निर्णय लिया गया कि कृषि ऋण की स्वीकृति मे और गति प्रदान किया जाय। RBI के सहायक महाप्रबंधक ने कहा कि राज्य मे 13 लाख KCC योग्य किसानो के पास हैं जबकि राज्य मे 38 लाख किसान है। उन्होने नाबार्ड से कहा इस तिमाही मे कृषि के सब- कमिटी की बैठक नहीं हो पाई है। आगे उन्होने नाबार्ड से परस्पर समंजस्य बनाने के जरूरत की बात कही।

नाबार्ड द्वारा कृषि ऋण में आई गिरावट के मद्देनज़र contract farming का मुद्दा उठाये जाने पर राजस्व सचिव ने बताया कि झारखण्ड राज्य में इससे सम्बंधित कानून 5 साल के लिए ही है और यदि बैंक 5 साल के लिए input facility देने को तैयार है तो इस पर कार्यवाही की जा सकती है | उन्होंने यह भी कहा कि ये बातें नीति आयोग के समक्ष भी उठाई गई है |

आगे किसानो के आय, वर्ष तक दुगना करने के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 2022 कार्यक्रम की चर्चा की गई। इस कार्यक्रम से संबन्धित विभिन्न पहलुओं की नाबार्ड द्वारा जानकारी दी गई। **(Action: सभी बैंक एवं सभी LDMs)**

वार्षिक ऋण योजना के आधार पर वर्ष 2016-17 की उपलब्धि की समीक्षा

श्री दीप शंकर ने बतलाया कि पिछले तिमाही की तुलना मे इस तिमाही मे कृषि एवं महिला संवर्ग ऋण वितरण मे वृद्धि हुई है लेकिन इस वर्ष के अंतिम तिमाही 2016-17 मे पिछले वार्षिक ऋण योजना 2015-16 की तुलना मे समग्र ऋण के संवितरण मे लगभग 3000 करोड़

का ह्रास हुआ है। यह एक चिंता का विषय है। नए वित्तीय वर्ष 2017-18 का बजट जिसे सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धकों द्वारा DLCC से अनुमोदिन करा लिया गया है एवं SLBC द्वारा NABARD के PLP के आधार पर वार्षिक ऋण योजना 2017-18 संयोजित करते हुए बैंको को भेज दिया गया है। सभी बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह किया गया कि आरंभ से ही शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा मे प्रयास किया जाए।

(Action: सभी बैंक एवं सभी LDMs)

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना

झारखण्ड राज्य में 01.04.2016 से 31.03.2017 तक **356219** लोगों को रु **1573.88** करोड़ रूपये का ऋण इस योजना के तहत दिया गया | SLBC द्वारा यह बताया गया कि वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान PMMY ऋण का सविन्तरण काफी संतोषजनक रहा और वस्तुतः केवल अंतिम तिमाही में 750 करोड़ रुपये से ज्यादा का ऋण वितरित किया गया | बैठक में उपस्थित सभी बैंको से यह आग्रह किया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान PMMY ऋण का सविन्तरण प्रत्येक माह में target के अनुरूप करें |

(Action: सभी बैंक एवं सभी LDMs)

स्टैड अप इंडिया ऋण योजना

विकास आयुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव श्री अमित खरे ने स्टैंड अप इंडिया ऋण में ST/SC लाभुकों की संख्या काफी कम होने एवं वार्षिक उपलब्धि बजट से काफी कम रहने पर असंतोष व्यक्त किया |

ऐसा बताया गया कि Stand up India का आवेदन मिलने में कठिनाई आ रही है, इसका मुख्य कारण राज्य में इस सम्बन्ध में जागरूकता की कमी है | इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों मे जागरूकता लाने की आवश्यकता है । इसके पोर्टल को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने एवं offline आवेदन के डाटा को पोर्टल मे डालने की जरुरत पर जोर दिया गया | SLBC के महाप्रबंधक श्री प्रसाद जोशी ने सभी बैंको से SUI का target 30 सितम्बर तक पूरा कर लेने को कहा | इसके साथ ही ग्रामीण रूटों पर प्रस्तावित बस सेवा के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को इस योजना के तहत ऋण देने का निर्देश दिया गया |

RBI के सहायक महाप्रबंधक ने SIDBI द्वारा खोले गए उद्यमी मित्र पोर्टल पर सभी बैंको और industry deptt को regular visit करने की सलाह दी और SIDBI से बैंको के लिए workshop/awareness forum के लिए काम किये जाने की बात कही | कुछ बैंको के प्रतिनिधियों ने SUI लोन के लिए cluster approach के आधार पर आवेदन सृजन करने की बात कही |

ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री ब्रिजलाल ने उनके बैंक के NPA प्रतिशत के कम हो जाने पर CGTMSE coverage दिये जाने की बात कही जिससे उनके बैंक द्वारा भी PMMY एवं SUI ऋण दिया जा सके |

(Action: राज्य सरकार , सभी बैंक एवं सभी LDMs)

State Level Bankers' Committee Jharkhand

एसएचजी महिलाओं के वित्तपोषण हेतु योजना

इस विषय पर ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री एन एन सिन्हा द्वारा कहा गया कि 2016-17 वर्ष मे **SHG** को ऋण मुहैया करने के लिए 166 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, इसके विरुद्ध 99.60 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया जो करीब 60% एवं वर्ष 2015-16 मे 150 करोड़ रुपए लक्ष्य के विरुद्ध 63 करोड़ जो 42% है, का ऋण वितरण किया गया जो लक्ष्य से काफी पीछे है। इस वर्ष **SHG** को 500 करोड़ रुपए ऋण दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य हमे तभी प्राप्त हो सकेगा जब हम 50000 **SHG** मे से प्रत्येक ग्रुप को कम-से-कम 1 लाख रुपए का क्रेडिट लिंकेज करा सकें। भारतीय स्टेट बैंक से विशेष रूप से कहा गया कि कुल लक्ष्य का 40% उनका होता है, अतः लक्ष्य प्राप्ति मे उन्हें विशेष ध्यान देना होगा। इसपर **SLBC** के मुख्य प्रबन्धक ने समिति को बतलाया कि **SHG** के सब-कमिटी के बैठक मे बजट पास कर लिया गया है एवं बैंकवार बजट बैंको को भेज दिया गया है।

साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि शाखाओं मे बाकी रुके हुए आवेदनो का 31 मई, 2017 तक निपटारा कर लिया जाय। **NRLM** द्वारा उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार बैंकों के पास 3948 आवेदन पेंडिंग पड़े है। विशेष, बड़े बैंकों के पास लंबित आवेदनो के शीघ्र निपटारे पर चर्चा की गई। चर्चा मे यह बात भी आई कि संथाल परगना के शाखाओं द्वारा 10 आवेदनो से अधिक आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। बैंकों के नियंत्रक प्रमुखों से कहा गया कि अपने शाखाओं को इस विषय मे उचित एवं स्पष्ट निर्देश दें। इसपर **SLBC** के महा-प्रबन्धक ने बैंकों से कहा कि जब कभी बैंको द्वारा अपने शाखाओं का रिवियू किया जाता हैं तो अपने अजेंडा मे निश्चित रूप से **SHG** से संबन्धित बातें रखें एवं इसमें गति लाने के लिए आवश्यक निर्देश दें। इसके रिवियू के अजेंडा मे नहीं रहने के कारण शाखाएँ इसपर विशेष ध्यान नहीं देते है। श्री खरे ने बैंकवार पेंडिंग आवेदनों की चर्चा की और सभी बैंको से 31.05.2017 तक सभी पेंडिंग आवेदनों को dispose off करने का निर्देश दिया | श्री सिन्हा ने कई बैंको द्वारा SHG के आवेदनों को स्वीकार करने से मना किये जाने का मुद्दा उठाया | SLBC के मुख्य प्रबंधक ने सभी बैंको के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह किया कि वे अपने यहाँ एक नोडल अधिकारी को नामित करें जो पूरे राज्य में SHG के मामलों पर सतत निगरानी रखे और नियमित अन्तराल पर SLBC को updated status की जानकारी दे| **(Action: JSLPS, सभी बैंक एवं सभी LDMs)**

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

इस विषय पर चर्चा करते हुए बतलाया गया कि बैंको द्वारा दिये आंकड़े और पीएमईजीपी के पोर्टल के रिपोर्ट मे काफी अंतर है। जबकि पिछले बैठक मे बैंकों को निर्देश दिया गया था कि पीएमईजीपी आवेदन से संबन्धित कार्यवाही पोर्टल के द्वारा ही की जानी है। पोर्टल के डाटा के अनुसार बैंकों को 6246 आवेदन दिये गए हैं जिसमे से 1282 आवेदन की स्वीकृति बैंकों द्वारा की जा चुकी है, 3867 आवेदन निरस्त किए गए है एवं बैंकों के पास 1097 आवेदन पेंडिंग पड़े हुए हैं। इस चर्चा मे PMEGP विभाग ने बतलाया कि राज्य को 40 करोड़ रुपए केंद्र से मार्जिन

मनी के रूप मे मिले थे लेकिन 31 मार्च 2017 तक 17.42 करोड़ ही उपयोग मे आ सका। अतिरिक्त 22.58 करोड़ रुपए मार्जिन मनी दूसरे राज्यों को दे दिया गया। इस वित्त वर्ष मे 35 करोड़ रुपए मार्जिन मनी के रूप मे राज्य को मिले हैं, इसके पूरे उपयोग के उपरांत पुनः ही अतिरिक्त मार्जिन मनी केंद्र से मिल सकेगा। यदि दिये गए टार्गेट को नवम्बर माह तक पूरा कर लिया जाता है तो अतिरिक्त मार्जिन का मिल पाना संभव हो सकेगा । इसपर SLBC के महाप्रबंधक ने कहा कि हमे PMEGP की जितनी टार्गेट दी गई है, शाखाओं की संख्या से भी कम पड़ती है। यह निर्णय लिया गया कि 30 जून 2017 तक जितने भी पेंडिंग आवेदन हैं, उनका निपटारा कर लिया जाए एवं सितम्बर 2017 माह तक दिये गए टार्गेट को पूरा कर ले।

इलाहबाद बैंक के महाप्रबंधक श्री पार्थो देब दत्ता ने सोलर चरखा के संबंध में चर्चा की | KVIC के प्रतिनिधि ने जानकारी दी कि इस के लिए बैंको द्वारा दिया जाने वाला ऋण PMEGP के तहत कवर किया जायेगा और इस पर subsidy भी उपलब्ध है |

(Action: KVIC, Industry Deptt, सभी बैंक एवं सभी LDMs)

प्रधानमंत्री जन धन योजना

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री एस मंडल ने जन धन योजना के अंतर्गत द्वितीय चरण में शुरू किये गए insurance schemes में प्रीमियम की राशि निश्चित समय सीमा के अंदर सम्बंधित खाते से debit कर लिए जाने के संबंध में सभी बैंको को जानकारी दी |

(Action: सभी बैंक एवं सभी LDMs)

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

HUDCO के प्रतिनिधि ने बताया कि CLSS के अंतर्गत PMAY स्कीम के अंतर्गत बैंको द्वारा काफी कम ऋण दिया गया है | **(Action: HUDCO, NHB, राज्य सरकार, सभी बैंक एवं सभी LDMs)**

विविध कार्य सूची

1. SLBC द्वारा बताया गया कि बार-बार मौखिक एवं लिखित आग्रह और अग्रिम मे निश्चित समय सीमा की सूचना दिये जाने के बावजूद कई बैंक द्वारा SLBC को स्पष्ट और सही आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं जिससे data compilation का कार्य काफी कठिन हो जाता है और इसमे अनावश्यक समय एवं श्रम कि बर्बादी होती है। इससे SLBC द्वारा संबंधित अधिकारियों को data सही समय पर उपलब्ध करना काफी मुश्किल हो जाता है। सभी बैंक के नियंत्रक प्रमुखों से आग्रह किया गया कि SLBC data सम्प्रेषण के लिए वे अपने यहाँ एक नोडल पदिधिकारी को नामित करें और SLBC के द्वारा मांगे जाने वाले data या रिपोर्ट्स को सही समय पर और स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने के लिए उसकी जिम्मेदारी सुनिश्चित करें।

(Action: सभी बैंक)

2. इसके साथ ही SLBC द्वारा आधार सीडिंग में डुप्लीकेट डाटा की तरफ ध्यान आकृष्ट कराया गया और LDMs को हिदायत दी गई कि govt से प्राप्त आंकड़ो को पूर्ण जांचोपरांत ही बैंको को प्रेषित किया जाये | **(Action: राज्य सरकार,सभी बैंक एवं सभी LDMs)**

3.RBI के द्वारा दिनांक 05.06.2017 से 09.06.2017 तक पूरे देश मे financial literacy सप्ताह मनाया जाना प्रस्तावित है जिसमे KYC, Credit Discipline, Grivance Redressal, Business Correspondents और digital transaction से संबंधित विषयों पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। RBI द्वारा posters/ banners शाखाओं को दिये जाने का प्रावधान है, जिसे बैंकों द्वारा properly display किया जाना है और साथ ही बैंकों तथ FLCs को विशेष केम्प का आयोजन करना है। **(Action: RBI, सभी बैंक एवं सभी LDMs)**

अन्य विषयों पर अपनी बात रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक ने कुछ संकेतों की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट किया :

i. कृषि ऋण बढ़ाने के लिए कृषि बीमा समय पर करना आवश्यक है । खरीफ फसल के लिए कट-ऑफ तिथि 15 जुलाई है लेकिन अभी तक फसल बीमा के लिए बीमा कम्पनी का चयन नहीं हो पाया है।सभी कृषि ऋण धारकों का बिमा समय सीमा के भीतर पूरा किया जाना है ।

(Action: कृषि विभाग, Insurance Company, सभी बैंक एवं सभी LDMs)

ii. पिछले 5 वर्षो में केवल पश्चिमी सिंघभूम जिले में जमा-ऋण अनुपात 20 % से कम हो गया है, इसके बावजूद पिछले दो तिमाही से DLCC बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। उन्होंने विशेष कर पश्चिमी सिंहभूम जिले में DLCC की बैठक नहीं कराये जाने के जिला प्रसाशन के रवैये पर राज्य सरकार से ध्यान दिये जाने का आग्रह किया | उन्होने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि ग्रामों मे अनधिकृत एजेंसिओं द्वारा जमा लिया जा रहा है इसपर भोले-भाले SHGs के प्रभावित होने की सम्भावना है। इसपर लगाम लगाने की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार की सम्बंधित agencies (PID) इसकी रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाये |

(Action: राज्य सरकार एवं सभी LDMs)

iii. उन्होंने Finanacial Education work Book को state education curriculam में शामिल किये जाने की बात कही | उन्होने कहा कि राज्य मे 36 FLCs कार्यरत है जिसमे से 24 FLCs बैंक ऑफ इंडिया द्वारा चलाये जा रहे है। इनमे 5 FLCs मे नियमित कोर्डिनेटर पिछले 3 वर्षों से नहीं है। उन्होने कहा कि इनमे नियमित कोर्डिनेटर के बहाली कि आवश्यकता है। आगे उन्होने कहा कि RAC की राज्य स्तरीय बैठक स्टेट कोर्डिनेटर द्वारा बुलाई जाती है जिसमे RSETI के भवन निर्माण एवं RSETI द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के क्रेडिट लिंकेज से संबन्धित चर्चा की जाती है। लेकिन कुछ बैंकों के प्रतिनिधियों इस बैठक मे उपस्थित नहीं रहते है।

(Action: BOI, सभी सम्बंधित बैंक एवं FLC कोऑर्डिनेटर)

iv. उन्होंने RBI द्वारा 5 जून से 9 जून तक financial literacy awareness week चलाये जाने की बात बताई जिसमे सभी बैंको को इससे सम्बंधित material RBI द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा और सभी बैंको से इसमें सहयोग देने को कहा | **(Action: RBI एवं सभी बैंक)**

नाबार्ड द्वारा digital awareness programme करने और इससे सम्बंधित खर्चो की प्रतिपूर्ति की बात बताई गई, जिसे सितम्बर 2017 तक submit कर देना है | **(Action: सभी बैंक एवं नाबार्ड)**

State Level Bankers' Committee

RBI के क्षेत्रीय निदेशक के द्वारा झारखण्ड के बॉर्डर इलाकों में BC नियुक्ति में होने वाली दिक्कतों का जिक्र किया गया ।

(Action: सभी बैंक)

अंत में श्री अमित खरे ने सभी LDMs एवं बैंको को ज्यादा प्रयत्नशील होने की बात कही और साथ ही इस सभा में हुए निर्णयों यथा SHG एवं PMEGP के लंबित आवेदनों को समय सीमा के अंदर पूरा कर लिए जाने का निर्देश दिया । उन्होंने SLBC को राज्य सरकार के पास उपलब्ध infrastructure का उपयोग कर सभी LDMs के साथ मासिक VC किये जाने का सुझाव दिया ।

(Action: राज्य सरकार, सभी बैंक एवं सभी LDMs)

सभा के अंत में झारखण्ड ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष श्री ब्रिजलाल ने सभी गणमान्य अतिथियों, प्रतिभागियों एवं मीडिया का धन्यवाद ज्ञापन किया । उन्होंने झारखण्ड सरकार के अधिकारियों को SLBC की बैठक करने हेतु सभागार दिये जाने पर विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित किया । तत्पश्चात एसएलबीसी के महाप्रबंधक श्री प्रसाद जोशी ने सभी का धन्यवाद करते हुए सभा समाप्ति की घोषणा की ।

(प्रसाद जोशी)
महाप्रबंधक